जागरण YAHOO! INDIA दैनिक जागरण e PAPER

आरटीएस : 20 सेवाएं दायरे में, तय हुई मियाद पटना, जागरण ब्यूरो : राज्य सरकार ने सेवा देने की मियाद तय कर दी है। 15 अगस्त 2011 से बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून (आरटीएस) लागू किया जा चुका है। अब सेवा देने की समय सीमा का भी अंतिम रूप से निर्धारण कर दिया गया है। समयसीमा में काम होंगे तो कार्यालयी भ्रष्टाचार पर खुद नियंत्रण लगेगा इसी मकसद से इस कानून का निर्माण किया गया है। 20 तरह की सेवाओं को इसके दायरे में रखा गया है। सेवा प्रदान करने वाले अधिकारियों को नामित करते हुए निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। नये राशन कार्ड के लिए आवेदन प्राप्ति के 60 कार्य दिवस के भीतर एसडीओ को निर्णय करना होगा। नौकरी, पासपोर्ट आदि के लिए चरित्र सत्यापन से संबंधित एसपी कार्यालय में प्राप्त आवेदन को 28 कार्य दिवस में निपटा देना है। शहरी इलाके में होल्डिंग टैक्स निर्धारण के लिए आये आवेदन का निपटारा नगर कार्यपालक पदाधिकारी को 45 कार्य दिवस में कर देना है। निबंधन कार्यालय में पेश दस्तावेज का निबंधन उसी दिन, निबंधित दस्तावेजों का परिदान 5 कार्य दिवस में और तलाश या प्रतिलिपि का काम 7 कार्य दिवस के भीतर करना होगा। विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने के बाद व्यक्तिगत अंक पत्र 5 कार्य दिवस, अस्थायी या मूल प्रमाण पत्र, माइग्रेशन, पुनर्गणना की कार्रवाई 15 कार्य दिवस के भीतर होगी। भूमि धारण यानी पोजेशन का प्रमाणपत्र 10 कार्य दिवस में निपटाया जायेगा। वैट अधिनियम के तहत निबंधन के लिए 15 कार्य दिवस की समय सीमा तय की गयी है।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति